न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 6/18 (225 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2018/00013

उनवान

1. प्रेमसिंह पुत्र मुकन्दी (मृतक)
   1/1 चन्द्रवती पत्नी स्व. प्रेमसिंह
   1/2 सीयावती पत्नी स्व. पूरनसिंह
   1/3 विष्णु पुत्र स्व. पूरनसिंह
   1/4 महेश पुत्र स्व. पूरनसिंह
   1/5 अनिल कुमार पुत्र स्व. पूरनसिंह
   1/6 कालीचरन पुत्र स्व. प्रेमसिंह
   1/7 जवाहर सिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह
   1/8 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह
   1/9 भूरीसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह
   1/10 मायादेवी पुत्री स्व. प्रेमसिंह
   1/11 लीलावती पुत्री स्व. प्रेमसिंह

   } जाति जाट निवासी ग्राम कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. लाखन सिंह उम्र 17 वर्ष
2. कृष्णा उम्र 7 वर्ष

} पुत्रगण बृजेन्द्रसिंह जाति गूजर निवासी ईसापुर कटारा तहसील नदबई द्वारा माँ श्रीमती वती उर्फ कमला पत्नी बृजेन्द्रसिंह जाति गूजर निवासी ईशापुर कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

3. बृजेन्द्र सिंह
4. चिरंजी

} पुत्रगण नवलसिंह जाति गूजर निवासी ईशापुर कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।

.....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स 23/2015 बउनवानी लाखनसिंह बनाम बृजेन्द्रसिंह में पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स 23/2015 बउनवानी लाखनसिंह बनाम बृजेन्द्रसिंह में पारित आदेश दिनांक 10.09.2015, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय से पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 485/0.07, 479/0.05, 480/0.05, 481/0.08 जिनके साबिक खसरा नम्बर 276/0.06 व 273 वाके ग्राम ईशापुर तहसील नदबई में स्थित है जो सायलान व गैरसायलान व तरतीवी प्रतिवादीगण की हिस्सानुसार कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। रेस्पोडेन्ट्स ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी पर गैरसायलानो को ताफैसला स्थगन आदेश से इस कदर पाबंद किया जावे कि वे सायलान के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें एवं रहन बय मुन्तकिल न करें और न ही कोई नया निर्माण करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2015 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश जारी किया, बाद में उसे दिनांक 10.09.2015 को आदेश पारित करते हुए मूल वाद के निर्णय होने तक कन्फर्म करने का आदेश जारी कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट्स बाबजूद तामील अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 479/0.05, 480/0.05, 481/0.08 समस्त का व आराजी खसरा नम्बर 485/0.07 के 1/3 हिस्से का अपीलार्थी खातेदार काश्तकार काबिज है। यह आराजी उसे विभाजन के बाद प्राप्त हुई है इस प्रकार खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश जारी करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। उत्तरवादी का इस आराजी के किसी भी भाग से कोई कोई सम्बन्ध नहीं है उन्हें कोई अधिकार इस आराजी अपीलार्थी पर प्राप्त नही होते हैं। इसलिए बिना खातेदार अधिकार के अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरवादी सं. 1 व 2 के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने खण्डनाधीन आदेश देने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया है अधीनस्थ न्यायालय से समस्त कार्यवाही एकतरफा मे करायी गयी है जो सामान्य न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। इस प्रकार खण्डनाधीन आदेश पूर्ण रुपेण अवैध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहे इस प्रकरण के कोई समन नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुई है इस पर कोई तामील विधिवत रुप से तामील कुनिन्दा द्वारा नही करायी गयी है तथा तामील प्रतिवेदन जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न है वह कूटरचित एवं बनाबटी है। उत्तरवादी सं. 1 व 2 एवं 3 व 4 ने तामील कुनिन्दा से मिलकर नाजायज करायी है इसलिए गलत व अपर्याप्त तामील पर भरोसा कर खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अभी तक अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं रही है अब दिनांक 19.12.2017 को पटवारी हल्का ने इस सम्बन्ध में बतलाया तो प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय से इस तथ्य की जानकारी अपने अधिवक्ता द्वारा करायी है और जानकारी होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.12.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उसी रोज नकल मिलने पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की वास्तविक जानकारी हुई है। जानकारी होने के दिन से यह अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को माफ करते हुए अपील अपीलार्थी अन्दर अवधि शुमार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 10.09.2015 को निरस्त किया जावे व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज किया जावे।

6. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2015 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 16.01.2018 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है।

7. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा न तो जबाब पेश किया गया है एवं न ही कोई काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2/सायलान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने द्वारा पेश दावे के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दिनांक 28.05.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं एकपक्षीय बहस सायलान सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की। गैर सायलान की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश प्रदत्त किए गए। आदेशिका दिनांक 27.07.2015 को यह अंकन किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की तलबी हो चुकी है, अप्रार्थी सं. 3 व 4 की तलबी कर पत्रावली दिनांक 10.09.2015 को पेश हो। तारीख पेशी 10.09.2015 को यह अंकन किया गया है कि "वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण की पूर्व में तलबी हो चुकी है, अतः जारीशुदा टी.आई. ताफैसला

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दावा कन्फर्म किया जाता है।'' पत्रावली फैसलशुमार होकर दावा के साथ रहे, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अन्तिम रुप से निस्तारण कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर किसी भी गैरसायल को तामील हेतु जारी नोटिस उपलब्ध नहीं है। जिससे अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में लिया गया यह आधार सही साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश देने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया एवं समस्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा में हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के ही गैरसायलान की तलबी होना आदेशिका में अंकित की है जबकि पत्रावली पर कोई नोटिस उपलब्ध नहीं है। साथ ही निर्णय दिनांक 10.09.2015 को बहस सुना जाना भी अंकित नही है इसके बाबजूद अन्तिम निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2015 को यथावत रखा जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2015 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचनानुसार शेष रहें पक्षकारों की तलबी कराते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

10. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर